कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण

(स्थापना शाखा)

कार्यालय आदेश

विभागीय अधिसूचना संख्या 594 दिनांक 23.06.2021 एवं अधिसूचना संख्या 755 दिनांक 03.07.2021 द्वारा प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019–2020 के पंचायत नियोजन ईकाईयों का द्वितीय चक्र में दिनांक 13.08.2021 को काउंसलिंग आयोजित किया गया है। पंचायत नियोजन इकाई द्वारा तैयार मेधा सूची का अनुमोदन बिहार पंचायती राज्य अधिनियम 2006 यथा संशोधित बिहार पंचायत राज (संशोधित) अध्यादेश 2021 के अधिनियम की धारा–66 की नई उपधारा (5) के अंतर्गत गठित परामर्शी समिति द्वारा किये जाने के उपरान्त काउंसलिंग की कार्रवाई की जानी है। एकमा प्रखण्ड अंतर्गत कुल 04 (चार) पंचायत नियोजन ईकाई (I) ग्राम पंचायत राज परसा दक्षिणी, (II) ग्राम पंचायत राज परसा पूर्वी, (III) ग्राम पंचायत राज आमदाढ़ी एवं (IV) ग्राम पंचायत राज अतरसन, नियोजन ईकाई द्वारा अंतिम मेधा सूची का परामर्शी समिति से अनुमोदनोपरांत एन0आई0सी0 के वेबसाईट पर अपलोड नहीं कराया गया है।

अतः विभागीय अधिसूचना सं0– 755 दिनांक 28.07.2021 एवं निदेशक, प्राथमिक शिक्षा बिहार, पटना के पत्रांक 762 दिनांक 29.07.2021 के आलोक में उक्त चारों पंचायत नियोजन इकाई का काउंसलिंग तत्काल स्थगित किया जाता है। विभाग द्वारा तृतीय चक्र हेतु समय निर्धारित होने पर काउंसलिंग की कार्रवाई की जाएगी।

ह0–

जिला शिक्षा पदाधिकारी
सारण।

ज्ञापांक 658 छपरा दिनांक 13.08.2021

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित पंचायत सचिव / प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, एकमा / प्रखंड विकास पदाधिकारी, एकमा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इस पत्र को NIC के वेबपोर्टल पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः– निदेशक (प्रा0शि0), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ सादर समर्पित।

13/8/21

जिला शिक्षा पदाधिकारी
सारण।
13-8-21